

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-200/06
संस्थित दिनांक-19.06.2006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. जगराम पुत्र गजाधर यादव उम्र 46 साल
 2. रामभरत पुत्र दिलीप सिंह यादव उम्र 43 साल
 3. सोनसिंह पुत्र राजाराम यादव उम्र 41 साल
 4. रामकिशोर पुत्र गुमान सिंह उम्र 39 साल
 5. कल्लू पुत्र लाखन सिंह यादव उम्र 37 साल
 6. पदम पुत्र जुगराम सिंह यादव उम्र 51 साल
 7. पल्लू पुत्र उदयराज सिंह यादव उम्र 41 साल
 8. लखन सिंह पुत्र प्यारेलाल सिंह यादव उम्र 45 साल
- सभी निवासीगण ग्राम कनावटा

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 09.03.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 332, 332/34 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक-22.12.2005 को शाम 15:00 बजे ग्राम कनावटा जंगल में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी बाबूलाल तथा कपूरचन्द जो कि शासकीय सेवक होकर लोक सेवक होते हुये अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहे थे, उन्हें लोक कर्तव्य के निर्वाहन से भयोपरत करने के आशय से कुल्हाड़ी, सब्बल आदि से मारपीट कर उपहति कारित की।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-22.12.2005 को फरियादी बाबूलाल, डिप्टी रेंजर कपूरचन्द जाटव, वनपाल राकेश कुमार दण्डोतिया के साथ उत्खनन क्षेत्र कनावटा वन सीमा के अंदर अवैध उत्खनन रोकने के लिये जंगल में पहुंचे शाम 04:00 बजे जंगल में रम्पा बरार, मुकेश यादव, ग्या बरार, रामगोपाल यादव निवासीगण कनावटा अवैध रूप से खदान पर पत्थन निकाल रहे थे, तब इन लोगों को पत्थर निकालने से रोका तब मुकेश यादव ने बाबूलाल को कुल्हाड़ी मारी जो दाहिने हाथ की गदेली में लगी, खून निकल आया, कपूरचन्द जाटव वनपाल के ग्या बरार ने पीठ में सब्बल का ढूंसा मारा मुंदी चोट आई। फरियादी बाबूलाल द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना लेखबद्ध करने के लिये आवेदन प्र.पी.-01 प्रस्तुत किया था। फरियादी के आवेदन पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 370/05 अंतर्गत धारा-353, 332, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्र.पी.-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र

विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक-22.12.2005 को शाम 15:00 बजे ग्राम कनावटा जंगल में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी बाबूलाल तथा कपूरचन्द जो कि शासकीय सेवक होकर लोक सेवक होते हुये अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहे थे, उन्हें लोक कर्तव्य के निर्वाहन से भयोपरत करने के आशय से कुल्हाड़ी, सब्बल आदि से मारपीट कर उपहति कारित की ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

05-वनपरिक्षेत्र अधिकारी एवं प्रकरण में फरियादी बाबूलाल (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना पांच साल पहले की दोपहर 02:00-02:30 बजे की है। घटना के समय वह ग्राम कनावटा में पत्थर की जप्ती करने जब घटना स्थल पर गया था, तो आरोपीगण ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था तथा उस समय उसके साथ उसके स्टाफ के कपूरचन्द (अ0सा0-03) राकेश (अ0सा0-02) एवं इमरत लाल भी मौजूद थे। बाबूलाल (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में यह भी स्पष्ट किया है कि घटना दिनांक-22.12.2006 की है तथा प्रतिपरीक्षण में कण्डिका-04 में भी इस साक्षी का कहना है कि उक्त दिनांक को वह उडनदस्ता प्रभारी था, तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-07 में इस साक्षी का यह भी कहना है कि वह उक्त दिनांक को अवैध उत्खनन पर नियंत्रण हेतु गया था तथा उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होने से कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया था। बाबूलाल (अ0सा0-01) का अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका-04 में यह कहना है कि आरोपीगण वन क्षेत्र में फर्सी पत्थर का उत्खनन कर रहे थे जो कि अवैध था तथा जब वह मौके पर पहुंचा, तो एक टॉली पत्थर का अवैध उत्खनन आरोपीगण के द्वारा किया जा चुका था।

06- बाबूलाल (अ0सा0-01) के अनुसार घटना के समय उसके साथ राकेश (अ0सा0-02) व कपूरचन्द (अ0सा0-03) भी थे, जिनके सामने घटना हुई थी। अभियोजन की ओर से राकेश (अ0सा0-02) व कपूरचन्द (अ0सा0-03) के कथन अपने समर्थन में न्यायालय में

कराये गये। राकेश (अ0सा0-02) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में बाबूलाल (अ0सा0-01) के कथनों की इस बात की पुष्टि की है कि 06-07 साल पहले वह स्वयं फरियादी बाबूलाल (अ0सा0-01) व कपूरचन्द (अ0सा0-03) के साथ खदानों पर गश्त करने के लिये गये थे, जहां पत्थर तोड़ने से मना करने पर कनावटा की खदान पर विवाद हो गया था। इस साक्षी के अनुसार आरोपीगण 10-12 लोग पत्थरों को काट रहे थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा भी डाली थी।

07- डिप्टी रेन्जर कपूरचन्द (अ0सा0-03) के द्वारा भी अपने कथनों में बाबूलाल (अ0सा0-01) के कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि वह 07 साल पहले कनावटा क्षेत्र में फरियादी बाबूलाल (अ0सा0-01) व राकेश दण्डोतिया (अ0सा0-02) सहित दो तीन अन्य लोगों के साथ अवैध उत्खनन को रोकने के लिये गया था जहां लगभग शाम को 04:00 बजे वह कनावटा में अवैध उत्खनन क्षेत्र में जब पहुँचा, तो वहां पर 06-07 लोग उत्खनन कर रहे थे, जिन्हें उत्खनन करने से रोका, तो उनमें से आरोपी मुकेश ने बाबूलाल (अ0सा0-01) पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया व राजपाल ने बाबूलाल को सबल का ढूँसा मारा था, इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी, परन्तु पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त रम्पा ने उसके हाथ में सबल मारा था।

08- डिप्टी रेन्जर कपूरचंद (अ0सा0-03) के द्वारा दिये गये उपरोक्त उसके सम्पूर्ण परीक्षण में अखण्डित रहे हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में भी यह स्पष्ट किया है कि जब वह घटना दिनांक को शाम 04:00 बजे अवैध उत्खनन का कार्य रोकने गया था, तो वहां पर 06-07 आदमी उत्खनन का कार्य कर रहे थे और जब वह अवैध उत्खनन का कार्य रोकने के लिये पहुंचे थे, तो वहां उत्खनन कर रहे लोगों ने झगडा किया था, जिसके बाद वह मौके से उडनदस्ता वाहन से भाग आये थे।

09- बाबूलाल (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि उसने घटना के संबंध में प्रदर्श-पी-01 का लेखिये आवेदन थाना चंदेरी में दिया था तथा प्रदर्श-पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लेखबद्ध कराई थी, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। बाबूलाल (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन की वह दिनांक-22.12.2006 को ग्राम कनावटा में वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन को रोकने के लिये वनकर्मी कपूरचन्द के साथ घटना स्थल पर गया था तथा वहां पर उत्खननकारियों के द्वारा झगडा किये जाने के बाद वह सवा चार बजे के लगभग मौके से वापस आ गये थे, कि पुष्टि प्रदर्श-पी-01 के आवेदन में उल्लेखित घटना एवं घटना के संबंध में दर्ज कराई गई रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 से भी होती है।

10- बाबूलाल (अ0सा0-01) के साथ घटना के हमराह साक्षी राकेश दण्डोतिया (अ0सा0-02) व कपूरचन्द (अ0सा0-03) के द्वारा भी बाबूलाल (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये

गये उपरोक्त कथनों का पूरी तरह से समर्थन करते हुये इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि वह लोग बाबूलाल (अ0सा0-01) के साथ घटना दिनांक 22.12.2005 को जो कि उनके कथन देने के दिनांक से 05-06 साल पूर्व की घटना है, को वह ग्राम कनावटा में वन क्षेत्र में एक साथ अवैध उत्खनन को रोकने के लिये गये थे, जहां पर उत्खननकारियों ने जो कि संख्या में 06-07 थे, ने झगडा किया था तथा उनके द्वारा अवैध उत्खनन को रोकने के कार्य में बाधा डाली गई।

- 11- अतः बाबूलाल (अ0सा0-01) सहित राकेश दण्डोतिया (अ0सा0-02) व कपूरचंद (अ0सा0-03) के द्वारा अभियोजन घटना के समर्थन में दी गई उपरोक्त अखण्डित साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक-22.12.2005 को तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल (अ0सा0-01) जो कि उडनदस्ता प्रभारी था, वनकर्मी राकेश दण्डोतिया (अ0सा0-02) व कपूरचंद (अ0सा0-03) के साथ ग्राम कनावटा के वनक्षेत्र में शाम करीबन 04:00 बजे अवैध उत्खनन रोकने के लिये वनक्षेत्र रेन्ज कनावटा में पहुंचे थे, तो वहां पर उत्खननकारियों ने उन पर हमला किया था और अवैध उत्खनन को रोकने के कार्य में उन उत्खननकारियों के द्वारा बाधा भी डाली गई थी।
- 12- अब मुख्य रूप से देखा यह जाना है कि वास्तव में उत्खननकारी जिन्होंने बाबूलाल (अ0सा0-01) सहित राकेश (अ0सा0-02) व कपूरचन्द (अ0सा0-03) के द्वारा वनक्षेत्र कनावटा में अवैध उत्खनन के रोकने के कार्य में बाधा डाली तथा झगडा कर उन्हें उपहति कारित की, वास्तव में वह उत्खननकारी अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह थे अथवा नहीं। बाबूलाल (अ0सा0-01) के द्वारा थाने पर घटना के बाद घटना के संबंध में दिये गये आवेदन प्रदर्श-पी-01 एवं घटना के संबंध में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-02 में अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के नाम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि बल्कि उत्खननकारी एवं झगडा करने वाले अभियुक्तों के नाम रम्पा, मुकेश यादव, ग्या बरार व रामगोपाल लेख कराये गये है वहीं मौके पर उपरोक्त चार अभियुक्त के अलावा 15-20 व्यक्ति और मौजूद बताये गये है।
- 13- यह उल्लेखनीय है कि रम्पा, मुकेश यादव, ग्या बरार व रामगोपाल के अलावा मौके पर उपस्थित 15-20 व्यक्ति कौन थे, इसका उल्लेख प्रदर्श-पी-01 के आवेदन एवं प्रदर्श-पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और न ही इस बात का उल्लेख है कि रम्पा, मुकेश यादव, ग्या बरार व रामगोपाल के अलावा यह 15-20 व्यक्ति भी अवैध उत्खनन का कार्य कर रहे थे एवं उन्होंने भी बाबूलाल (अ0सा0-01) सहित राकेश दण्डोतिया (अ0सा0-02) व कपूरचन्द (अ0सा0-03) के द्वारा किये गये जा रहे शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर उन पर हमला किया था।
- 14- बाबूलाल (अ0सा0-01) ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में एवं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-07 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श-पी-01 के आवेदन एवं प्रदर्श-पी-04

के कथनों में उसने अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के नाम लेखबद्ध नहीं कराये तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में इसी साक्षी का कहना है कि प्रदर्श-पी-01 में उल्लेखित व्यक्तियों रम्पा, मुकेश यादव, ग्या बरार व रामगोपाल के द्वारा ही कपूरचंद (अ0सा0-03) के साथ मारपीट की गई थी। अतः स्पष्ट है कि बाबूलाल (अ0सा0-01) के द्वारा घटना के तुरन्त बाद थाने पर दिये गये आवेदन में एवं दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवैध उत्खनन करने वाले एवं झगडा करने वाले व्यक्तियों में केवल रम्पा, मुकेश यादव, ग्या बरार व रामगोपाल के नाम लेख कराये गये थे, इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने या झगडा करने एवं उपहति कारित करने के बारे में कोई घटना लेख नहीं कराई गई है।

- 15- अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी अनरत (अ0सा0-04), अशोक यादव (अ0सा0-06) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिनके पुलिस कथन प्रदर्श-पी-06 व 07 के आधार पर मुख्य रूप से अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह को प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। अनरत (अ0सा0-04) व अशोक यादव (अ0सा0-06) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्वीकार किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानते हैं, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है तथा पुलिस को भी कोई कथन न देना बताया है।
- 16- अनरत (अ0सा0-04) व अशोक यादव (अ0सा0-06) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करने से इन साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा स्पष्ट तौर पर पुलिस को कमशः प्रदर्श-पी-06 व 07 के कथन देने से ही इन्कार किया है। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बाबूलाल (अ0सा0-01) सहित राकेश (अ0सा0-02) व कपूरचन्द (अ0सा0-03) ने न तो अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के विरुद्ध पुलिस को कोई कथन दिये हैं और न ही प्रदर्श-पी-01 के आवेदन व प्रदर्श-पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी बाबूलाल (अ0सा0-01) के द्वारा अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख किया गया और न ही उनके द्वारा घटना कारित करना लेख कराया गया। अतः अभियोजन के पास अभिलेख पर अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह को प्रकरण में अभियोजित करने तथा घटना में उनकी संलिप्तता साबित करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है।
- 17- बाबूलाल (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह को पूर्व से जानना तो बताया है, परन्तु यदि यह साक्षी पूर्व से अभियुक्तगण को जानता था और अभियुक्तगण के द्वारा ही घटना कारित की गई थी तो वह रम्पा, ग्या बरार, मुकेश यादव व रामगोपाल के साथ इन अभियुक्तगण के द्वारा भी घटना कारित करना तथा उनके नाम का उल्लेख अपने

आवेदन प्रदर्श-पी-01 एवं रिपोर्ट प्रदर्श-पी-02 में अवश्य करता। अभियुक्तगण के नामों को उल्लेख प्रदर्श-पी-01 व 02 में न होना यह दर्शित करता है कि बाबूलाल (अ0सा0-01) सहित कपूरचन्द (अ0सा0-03) अभियुक्तगण को पूर्व से नहीं जानते हैं।

- 18- बाबूलाल (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में एक सामान्य से कथन देते हुये मौके पर आरोपीगण के द्वारा झगडा करना तथा अवैध उत्खनन करना बताया है, परन्तु किन आरोपीगण के द्वारा उत्खनन किया जा रहा था तथा किन के द्वारा झगडा किया गया, उनके नामों का स्पष्ट उल्लेख इस साक्षी ने अपने कथनों में नहीं किया। बाबूलाल (अ0सा0-01) अभियुक्त लखन के द्वारा उसके बाये हाथ में कुल्हाडी मारना बताता है, जबकि अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी करने के बात वह उक्त त्रुटि को सुधार करते हुये मुकेश यादव के द्वारा कुल्हाडी मारना बताता है। यह साक्षी न्यायालय में उपस्थित सोहन सिंह की भी पहचान अपने परीक्षण में नहीं कर पाया। अतः इस साक्षी का अपने कथनों में मात्र यह कहना कि आरोपीगण ने घटना कारित की तथा अवैध उत्खनन के कार्य रोकने में बाधा उत्पन्न की, से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जिन आरोपीगण का वह उल्लेख अपने कथनों में कर रहा है, उससे अभिप्रायः अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह है।
- 19- बाबूलाल (अ0सा0-01) का अभियुक्तगण के विरुद्ध अपने कथनों में कहीं पर भी यह स्पष्ट कहना नहीं है कि वास्तव में अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के द्वारा मौके पर अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा था तथा अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह में से किसी अभियुक्त ने मौके पर उसके साथ या वन अमले के साथ विवाद कर उन्हें उपहति कारित की। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राकेश उर्फ रमेश (अ0सा0-02) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि वह घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को चेहरे से पहचानता है तथा इस साक्षी ने अपने परीक्षण के दौरान उपस्थित अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू की पहचान कर यह स्पष्ट कथन दिये है कि वह लोग घटना के समय मौजूद नहीं थे।
- 20- कपूरचन्द (अ0सा0-03) भी अपने न्यायालीन कथनों में सभी आरोपीगण को जानना बताता है तथा इस साक्षी का भी बाबूलाल (अ0सा0-01) के कथनों के सामान एक सामान्य कथन के रूप में कहना है कि आरोपीगण अवैध उत्खनन कर रहे थे, जिन्हें रोकने पर मुकेश ने फरियादी बाबूलाल को कुल्हाडी से व राजपाल ने बाबूलाल को सब्स से ढूँसा मारकर उपहति कारित की थी तथा रम्पा बरार ने भी उसे सबल से मारा था। कपूरचन्द (अ0सा0-03) का अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह घटना दिनांक को अवैध उत्खनन कर रहे थे तथा उनमें से किसी ने मौके पर वन अमले के साथ झगडा किया तथा बाबूलाल व उसे उपहति कारित की। यह साक्षी मौके पर अभियुक्त जगराम व कल्लू को उपस्थित होना बताता है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में इस साक्षी का स्पष्ट

कहना है कि इन दोनों अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की।

- 21- कपूरचन्द (अ0सा0-03) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में यह स्पष्ट करता है कि रम्पा, मुकेश, गया व रामगोपाल चार व्यक्तियों से झगडा हुआ था तथा इस साक्षी के अनुसार 15-20 लोग मौके पर उपस्थित थे, जिनमें घटना देखने वालों ने कोई घटना कारित नहीं की। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-09 में यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस ने प्रकरण में जिन व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है, न तो उनकी कोई शिकायत की थी और न ही उनका घटना से कोई संबंध है। अतः कपूरचन्द (अ0सा0-03) के अनुसार अभियुक्तगण जगराम, राम (अ0सा0-01) भरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के द्वारा कोई घटना ही कारित नहीं की गई।
- 22- अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से घटना स्थल पर अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह की उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती है। फरियादी बाबूलाल (अ0सा0-01) जो कि घटना में स्वयं आहत हैं, के द्वारा थाने पर दिये गये आवेदन प्रदर्श-पी-01 एवं दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-02 व पुलिस को दिये गये कथनों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह घटना स्थल पर उपस्थित थे तथा उनके द्वारा घटना कारित की गई। वहीं बाबूलाल (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में भी अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह की घटना स्थल पर उपस्थिति एवं उनके द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट एवं विश्वसनीय कथन नहीं दिये हैं।
- 23- फरियादी बाबूलाल (अ0सा0-01) के साथ घटना के हमराह साक्षी राकेश (अ0सा0-02) सहित घटना में आहत कपूरचन्द (अ0सा0-03) अपने न्यायालीन कथनों में स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई तथा उनका घटना से कोई संबंध नहीं है और न ही उनके संबंध में पुलिस को कोई कथन दिये, जिन साक्षी अनरत (अ0सा0-04) व अशोक यादव (अ0सा0-06) के पुलिस कथनों के आधार पर अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह को प्रकरण में अभियोजित किया गया है, इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करते हुये पुलिस को कथन देने से ही इन्कार किया है तथा घटना की जानकारी न होना बताया है। परिणामस्वरूप अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य घटना में संलिप्त होने या घटना कारित करने के संबंध में नहीं है।

- 24- सहायक उपनिरीक्षक देव सहाय (अ0सा0-05) ने प्रकरण में प्रदर्श-पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की पुष्टि की है, तथा इस साक्षी ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि फरियादी बाबूलाल (अ0सा0-01) ने मात्र रम्पा मुकेश, ग्या व रामगोपाल के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने व मारपीट करने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी और यदि अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के नाम लेख कराये जाते तो वह अवश्य उनके नाम का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-02 में करता। देव सहाय (अ0सा0-05) के कथनों से भी यह स्पष्ट होता है कि जिस दिनांक को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-02 लेखबद्ध कराई गई थी, उस दिनांक को अभियुक्तगण के नाम तक फरियादी ने पुलिस को नहीं बताये थे।
- 25- प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक एम. एल. शर्मा के द्वारा की गई है तथा साक्षी एम. एल. शर्मा का प्रकरण के विचारण के दौरान देहान्त भी हो गया है, इसकी पुष्टि प्रधान आरक्षक दिलीप (अ0सा0-07) ने अपने कथनों की है तथा दिलीप सिंह (अ0सा0-07) ने प्रदर्श-पी-03 के नक्शा मौका व प्रदर्श-पी-04, 05 व 06 के कथनों पर एम. एल. शर्मा के हस्ताक्षर होने की भी पहचान की है। एम. एल. शर्मा (अ0सा0-04) के द्वारा साक्षी अनरत (अ0सा0-04) व अशोक सिंह (अ0सा0-06) के कथन लेखबद्ध किये गये, जिसके आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह को अभियोजित किया गया, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त साक्षियों के अलावा शेष सभी साक्षियों ने अपने कथनों में मात्र अभियुक्त रम्पा बरार, मुकेश यादव, ग्या बरार व रामगोपाल के विरुद्ध घटना कारित करने के संबंध में कथन दिये हैं तथा अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के विरुद्ध कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं।
- 26- यदि साक्षियों के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास था कि घटना में कौन से अभियुक्त शामिल थे, तो फरियादी सहित आहत बाबूलाल (अ0सा0-01) के कथनों को बिना प्राथमिकता दिये, अभियुक्त रम्पा बरार, मुकेश यादव, ग्या बरार व रामगोपाल को न तो अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने आरोपी बनाया है और न ही उन्हें प्रकरण में आरोपी न बनाये जाने का कोई कारण अंतिम प्रतिवेदन में लेखबद्ध किया। इसी प्रकार साक्षियों के पुलिस कथनों में हरप्रसाद चौकीदार की भी घटना स्थल पर उपस्थिति दर्शाई गई है, परन्तु उसे प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया। घटना स्थल पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 08 सी. 0057 पाये जाने के कथन लगभग सभी साक्षियों ने पुलिस को दिये हैं, परन्तु अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने अपनी विवेचना में कही भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि घटना स्थल पर पाई गई मोटरसाईकिल किसकी थी, तथा उक्त मोटरसाईकिल की जप्ती तक अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा नहीं की गई। अतः प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना त्रुटिपूर्ण है, जिसमें अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह के विरुद्ध उन्हें अभियोजित करने के संबंध में कोई युक्ति-युक्त साक्ष्य एकत्र नहीं की गई, जिससे अभियुक्तगण को प्रकरण में अभियोजित करने का अभियोजन के पास कोई विश्वसनीय आधार नहीं है।

- 27- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक-22.12.2006 को वनपरिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल (अ0सा0-01) अवैध उत्खनन का कार्य रोकने के लिये उडनदस्ता प्रभारी की हैसियत से वन अमले के साथ ग्राम कनावटा के वनक्षेत्र में गये थे, जहां शामं 04:00 बजे उत्खननकारियों ने फरियादी सहित वन अमले पर हमला कर उत्खनन रोकने के कार्य में बाधा डाली थी, परन्तु अभियोजन साक्षियों के न्यायालीन कथन एवं प्रकरण में की गई विवेचना के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि उक्त घटना में उत्खनन कारी अभियुक्तगण जगराम, रामभरत, सोनसिंह, रामकिशोर, कल्लू, पदम, पल्लू, लखन सिंह थे तथा उनके द्वारा ही फरियादी बाबूलाल व कपूरचन्द के द्वारा किये गये लोक कर्तव्य के निर्वाहन से भयोपरत करने के आशय से सामान्य आशय के अग्रसरण में कुल्हाड़ी सबल आदि से मारपीट कर उपहति कारित की।
- 28- फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त जगराम पुत्र गजाधर यादव, रामभरत पुत्र दिलीप सिंह यादव, सोनसिंह पुत्र राजाराम यादव, रामकिशोर पुत्र गुमान सिंह, कल्लू पुत्र लाखन सिंह यादव, पदम पुत्र जुगराम सिंह यादव, पल्लू पुत्र उदयराज सिंह यादव, लखन सिंह पुत्र प्यारेलाल सिंह यादव को भा.द.वि. की धारा 332, 332/34 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा. द.वि. की धारा 332, 332/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 29-अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)